उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

मंगलवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1948

(04 अगस्त, 2026)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क', 'ख' व 'ग')।

(12:20 बजे अपराह्न)

2-वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2026-2027 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करेंगे।

3-वित्त मंत्री, वित्त परीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (भाग-1 से भाग-13 तक) को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-176 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

4-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-366 सीएम/9-1-2008-5 नियम/2007, दिनांक 17 नवम्बर, 2008 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मुड़िया पूनो मेला (प्रान्तीयकरण) नियमावली, 2008 को संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 की धारा-9 की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

5-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1857/ 9-1-10-1सा/10, दिनांक 18 जून, 2010 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका

(सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

6-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-2 द्वारा प्रख्यापित जल संस्थान (जल कर के उद्ग्रहण के सम्बन्ध में अर्द्धव्यास) नियमावली, 1993, दिनांक 01 जनवरी, 1994 को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा-96 की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

7-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-3 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल-कल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1996, दिनांक 23-12-1996 को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा-96 की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

8-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-3 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल-कल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2003, दिनांक 27 फरवरी, 2003 को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा-96 की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

9-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-3 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल-कल अभियन्त्रण (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012, दिनांक 08 दिसम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा-96 की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

10-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना दिनांक 28 जून, 1996 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (बीसवां संशोधन) नियमावली, 1996 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

11-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1817/नौ-4-03-6ज-03, दिनांक 10 अप्रैल, 2003 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 2003 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

12-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-2040/9-4-2004-9 डीएलबी-87, दिनांक 12 मई, 2004 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका

(केन्द्रीयित) सेवा (बाइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2004 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

13-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1899/नौ-6-2006-9मिस-05, दिनांक 13 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (तेइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2006 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

14-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-2907/नौ-4-14-11ज-2007, दिनांक 10 नवम्बर, 2014 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (चौबीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2010 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

15-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-2045/नौ-4-15-29ज-2012, दिनांक 28 अगस्त, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (पच्चीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2015 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

16-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1501/नौ-4-16-12ज-2014, दिनांक 28 जून, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (छब्बीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

17-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-4112/नौ-4-16-29ज-2012, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (सत्ताइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

18-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-3037/नौ-4-2024-5ज-2011, दिनांक 26 सितम्बर, 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका

(केन्द्रीयित) सेवा (अट्ठाइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2024 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

19-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-3040/नौ-4-2025-5ज-2011, दिनांक 30 सितम्बर, 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (उन्तीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2025 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

20-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना दिनांक 06 फरवरी, 1996 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) नियमावली, 1995 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

21-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-511/नौ-4-16-2टी0एस0-08, दिनांक 01 मार्च, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा सेवानिवृत्ति लाभ (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

22-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-5 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली, 2021, दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

23-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-3898/11-6-1984-217 वि-79, दिनांक 01 अक्टूबर, 1984 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

24-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-1243/11-6-1988, दिनांक 01 दिसम्बर, 1988 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 1988 को उत्तर प्रदेश साधारण

खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

25-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-3520/11-6-58-8(8)-87, दिनांक 28 अगस्त, 1989 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 1989 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

26-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-783/नौ-6-06-42मिस-95, दिनांक 13 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2006 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

27-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-2212/नौ-6-06-42मिस-95, दिनांक 17 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ (चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2007 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

28-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-6 की अधिसूचना संख्या-143/नौ-6-2016-42मिस-95, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ (पंचम संशोधन) विनियमावली, 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

29-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-3796ए/नौ-7-1994, दिनांक 14 नवम्बर, 1994 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

30-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-1056/9-7-18-29 (लखनऊ) 18, दिनांक 15 जुलाई, 2018 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड

अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

31-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-3680/नौ-7-04-129एल-2004, दिनांक 12 अक्टूबर, 2004 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय निकाय (अपदूषण, कारक पशुओं के विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2004 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

32-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-3129/नौ-7-2005-107 रिट-03, दिनांक 21 सितम्बर, 2005 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2005 को उत्तर प्रदेश पार्क खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 1975 की धारा-14 की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

33-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या-151/नौ-9-2026-12ज-24, दिनांक 02 फरवरी, 2026 द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश नगर निगम (आकाश चिन्ह और विज्ञापनों का विनियमन) नियमावली, 2026' को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

34-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या-1435/9-9-2000-63-ज/95-टी0सी0, दिनांक 22 अप्रैल, 2000 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

35-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना दिनांक 10 जनवरी, 2003 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2002 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

36-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या-1463/9-9-2013-85ज-05 टी0सी0, दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

37-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या-1302/9-9-2019-85ज-05 टी0सी0, दिनांक 23 जुलाई, 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

38-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या-108/नौ-9-2024-42ज-2023, दिनांक 17 जनवरी, 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2023 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

39-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या-983/नौ-9-2016-80ज-2011, दिनांक 17 अगस्त, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली, 2016, को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

40-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या-60/नौ-9-2011-65ज-09, दिनांक 13 जनवरी, 2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सूचना का लोक प्रकटीकरण) नियमावली, 2010 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

41-नगर विकास मंत्री, नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या-912/नौ-9-24-85ज/05 टी0सी0-1, दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2024 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-A की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

42-खाद्य एवं रसद मंत्री, खाद्य एवं रसद अनुभाग-1 द्वारा माननीय लोक आयुक्त के विशेष प्रतिवेदन संख्या-14-2007, दिनांक 25 अक्टूबर, 2007 को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

43-खाद्य एवं रसद मंत्री, खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2025-26 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अध्याय-7 'शिकायत निवारण तंत्र' की धारा-16 की उपधारा (6) (च) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

मुद्रित प्रतियाँ बाद में वितरित की जायेंगी।

44-श्री अविनाश सिंह चौहान, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2025-2026) का षष्टम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2019-2020 व 2020-2021 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियाँ बाद में वितरित की जायेंगी।

45-श्री अविनाश सिंह चौहान, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2025-2026) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2006-2007 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियाँ बाद में वितरित की जायेंगी।

46-श्री अविनाश सिंह चौहान, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2025-2026) का अष्टम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2006-2007 व 2007-2008 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियाँ बाद में वितरित की जायेंगी।

47-श्री अविनाश सिंह चौहान, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2025-2026) का नवम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2019-2020 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियाँ बाद में वितरित की जायेंगी।

48-श्री अविनाश सिंह चौहान, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2025-2026) का दशम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2013-2014 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

49-कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद आजमगढ़ के फूलपुर में स्थायी तौर पर मिर्चा मण्डी बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक व श्री कुंवर महाराज सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

50-कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-महोबा की तहसील-कुलपहाड़ की ग्राम पंचायत-पनवाड़ी व आस-पास के गांवों के लिये कृषि मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर व श्री अविनाश सिंह चौहान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

51-कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-खैराबाद के ग्राम-असोड़र से पनवड़िया होते हुये खैराबाद तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री ऋषिपाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

52-आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-लखनऊ में पारा रोड राजाजीपुरम् निकट शान्ति मन्दिर स्कूल और मन्दिर के पास से देशी शराब की दुकान को हटाये जाने के सम्बन्ध में डा0 के0पी0 श्रीवास्तव व श्री राम सूरत राजभर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2026 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

53-कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री, उत्तर प्रदेश में किसानों की समृद्धि और मानव हित में बीज उत्पादक अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से देशी बीजों को संरक्षित कराने एवं उनकी प्रजाति को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को नियम 111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

54-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, सी0एम0 युवा उद्यमी योजना से लाभान्वित युवाओं को अपना उद्यम बढ़ाने और उनके उद्यम में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु कोई आयोग या संस्था बनाये जाने के सम्बन्ध में इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

55-आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-लखनऊ के राजाजीपुरम् निकट शान्ति मन्दिर स्कूल के पास से शराब की दुकान को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सूरत

राजभर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2026 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

56-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-कोरार, मजरा-कलिमापुर, विकास खण्ड-पहला, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

57-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-नयागांव, विकास खण्ड-कसमण्डा, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से नाले का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

58-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम असोडर, विकास खण्ड व तहसील-खैराबाद, जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

59-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-गोरा, विकास खण्ड-ऐलिया जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

लखनऊ :
मंगलवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1948
(04 अगस्त, 2026)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/प्राप्त होने की तिथि
****1**	**28-7-2026**

नत्थी 'क'

मंगलवार, दिनांक 4 अगस्त, सन् 2026 ई0

अल्पसूचित प्रश्न

प्रयागराज व झांसी मण्डल में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मिलने वाली सरकार की योजनाओं के लाभ के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव

1

**1-(क) क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बतायेंगे कि प्रयागराज व झांसी मण्डल में उक्त विभाग से मिलने वाली सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को प्राप्त कराये जाने हेतु किस स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ?

(ख) क्या उक्त योजनाओं का सही ढंग से प्रयागराज व झांसी मण्डल में प्रचार-प्रसार न होने के कारण गरीब, असहाय एवं लाभ पाने वाले व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है ?

(ग) यदि हाँ, तो व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कराते हुये कब तक सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ पात्रों को उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
**1	5-2-2026

नत्थी ‘ख’

मंगलवार, दिनांक 4 अगस्त, सन् 2026 ई0

(माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर माननीय सभापति जी
द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2026 को स्थगित
तारांकित प्रश्न)

श्री आशुतोष सिन्हा *1-[अन्तरित]

1

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	10-4-2026
*2	10-4-2026
*3	15-4-2026
*4	21-4-2026
*5	22-4-2026
*6	23-4-2026
*7	23-4-2026
*8	23-4-2026
*9	22-7-2026
*10	22-7-2026
*11	27-7-2026
*12	27-7-2026

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	10-4-2026
2	10-4-2026
3	10-4-2026
4	10-4-2026
5	10-4-2026
6	15-4-2026
7	15-4-2026
8	15-4-2026
9	15-4-2026
10	23-4-2026
11	23-4-2026
12	28-4-2026
13	30-4-2026
14	8-5-2026
15	8-5-2026
16	12-5-2026
17	1-6-2026
18	1-6-2026
19	1-6-2026
20	9-6-2026
21	23-6-2026
22	14-7-2026
23	14-7-2026
24	14-7-2026
25	14-7-2026
26	27-7-2026
27	27-7-2026
28	27-7-2026
29	27-7-2026
30	27-7-2026

नत्थी 'ग'

मंगलवार, दिनांक 4 अगस्त, सन् 2026 ई0

तारांकित प्रश्न

राज्य सरकार द्वारा एक अल्प अनुभव वाली AI कम्पनी Puch के साथ 25,000 करोड़ का MoU के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 1

*1-(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्री बतायेंगे कि राज्य सरकार द्वारा एक अल्प अनुभव वाली AI कम्पनी Puch AI के साथ रु0 25,000 करोड़ का MoU किया गया था, जिसकी वार्षिक आय लगभग रु0 50 लाख बतायी जाती है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त MoU से पूर्व कम्पनी की वित्तीय एवं तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन किस एजेंसी द्वारा किया गया ?

(ग) क्या सरकार ने Due Diligence रिपोर्ट तैयार कराई ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या उसकी प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) उक्त MoU को रद्द करने के पीछे क्या कारण रहे ?

औद्योगिक विकास मंत्री

(च) इस प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 में प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं/लाभों के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
2

*2-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 में प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं/लाभों हेतु आवंटित बजट कितना था और कितना व्यय हुआ है ?

कृषि मंत्री

(ख) क्या किसानों को सुविधाओं/लाभ दिये जाने का उक्त वित्तीय वर्षों में कोई लक्ष्य भी निर्धारित था ?

(ग) यदि हाँ, तो उक्त लक्ष्य का विवरण क्या था और लक्ष्य के सापेक्ष कितना कार्य पूर्ण किया गया है ?

(घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद शामली, सहारनपुर में वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 व 2024-25 में दिव्यांगजनों को वर्षवार वितरित किये गये उपकरणों के सम्बन्ध में

श्री किरण पाल कश्यप
3

*3-(क) क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 व 2024-25 में जनपद शामली, सहारनपुर में दिव्यांगजनों को कितने उपकरण वर्षवार वितरित किये गये थे ?

दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या उक्त उपकरणों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रदेश की सोसाइटी में यूरिया खाद का किसानों में वितरण के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान
4

*4-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश की सोसाइटी में यूरिया खाद नहीं मिल पाती, जिसके कारण 20 बीघा का किसान हो या 30 बीघा का किसान हो उसको सिर्फ दो बोरी यूरिया मिल पाती है, जिससे किसान की फसलों को पूरी खाद नहीं मिल पाती है ?

कृषि मंत्री

(ख) क्या जमीन के हिसाब से किसानों को खाद दिया जायेगा, जिससे किसान अपनी लागत के अनुसार फसल उगा सके ?

(ग) क्या उक्त समस्या के समाधान हेतु योजना बनायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उ0 प्र0 राज्य पिछड़ा आयोग द्वारा सैंथवार मल्ल को पिछड़े वर्ग की सूचि में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
5

*5-(क) क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य पिछड़ा आयोग के आदेश संख्या-1945/18-ज0सं0-294 रा0 पिछड़ा वर्ग आयोग-2009, दिनांक 5-3-2009 के द्वारा लोक सेवा (उ0प्र0) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में सैंथवार मल्ल को पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित करने सम्बन्धी है, प्राप्त हुआ है ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) आयोग की संस्तुति पर कब तक निर्णय करायेंगे ?

वाराणसी, विन्ध्याचल एवं आजमगढ़ मण्डलों में ग्राम स्तर पर अखाड़ों के निर्माण, उनसे निकले पहलवानों को रोजगार/नियोजन के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
6

*6-(क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी, विन्ध्याचल एवं आजमगढ़ मण्डलों में ग्राम स्तर पर अखाड़ों के निर्माण/स्थापना किये जाने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ?

युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इन अखाड़ों से निकलने वाले पहलवानों को सरकार द्वारा किसी प्रकार का रोजगार/नियोजन प्रदान किया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो उसका विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रदेश में संचालित विद्यालयों की रंगाई, पुताई, मरम्मत व अन्य मदों के सम्बन्ध में

श्री किरण पाल कश्यप 7	*7-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में संचालित विद्यालयों के भवनों की रंगाई, पुताई, मरम्मत व अन्य मदों में वर्ष 2022 से लेकर अब तक कितनी धनराशि विभाग द्वारा वर्षवार व जिलेवार जारी की गयी है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में कनिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 8	*8-(क) क्या उद्यान मंत्री बतायेंगे कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में कनिष्ठ अधिकारियों की अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण का लाभ देकर संयुक्त निदेशक पद पर विधि विरुद्ध प्रोन्नति दिए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 20-2-2026 का पत्र, जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो ज्येष्ठ अधिकारी को दरकिनार करते हुये कनिष्ठ अधिकारियों को बार-बार सेवा में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए प्रोन्नति दी जा सकती है ? (ग) क्या विभाग द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2021 में ज्येष्ठता नियमावली के विरुद्ध जो सूची बनायी गयी है, उसको संशोधित करने की प्रक्रिया संचालित है ? (घ) उक्त सूची को संशोधित कर प्रोन्नति प्रदान किए जाने में एकरूपता/एकसमानता रखेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

जनपद-वाराणसी में धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व को देखते हुये मदिरा व बीयर की दुकानों को मन्दिर व पंचकोशी मार्ग से अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 9	*9-(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी के नगर निगम क्षेत्र में काशी विश्वनाथ मन्दिर सहित हजारों की संख्या में पौराणिक एवं धार्मिक महत्व के मन्दिर स्थित हैं तथा पंचकोशी मार्ग पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों का आवागमन रहता है ?	आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए वाराणसी नगर निगम क्षेत्र तथा पंचकोशी मार्ग पर स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा तथा बीयर की दुकानों को अन्य उपयुक्त स्थानों पर स्थानान्तरित करने पर विचार करेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-गोरखपुर में किसान को कृषि यन्त्र की सब्सिडी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 10 — कृषि मंत्री

*10-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 जून, 2025, जो कि कृषि मंत्री को सम्बोधित एवं चयनोपरान्त जनपद-गोरखपुर में किसान को कृषि यन्त्र की सब्सिडी उपलब्ध न कराए जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो पत्र में किन-किन बिन्दुओं का उल्लेख कर कार्यवाही की माँग की गयी तथा पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(ग) चयनित किसान को बिल अपलोड करने की अनुमति सहित धनराशि कब तक उपलब्ध करायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश में आलू किसानों को योजनाओं के तहत राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 11 — उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*11-(क) क्या उद्यान मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में आलू किसानों को योजनाओं के तहत राहत दी जा रही है ?

(ख) यदि हाँ, तो विवरण देने का कष्ट करें तथा वर्ष 2026-27 में क्या राहत दी जा रही है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-मैनपुरी के करहल में एक्सप्रेस-वे के पास हविलीया कट पर बन रही मण्डी के कार्य के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 12 — कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*12-(क) क्या कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार मंत्री बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के करहल में एक्सप्रेस-वे के पास हविलीया कट पर बन रही मण्डी का कार्य चल रहा है ?

(ख) यदि हाँ, तो कार्य कब तक पूर्ण करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

अतारांकित प्रश्न

श्री अशोक अग्रवाल 1	1-(क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनाँक 25 मार्च, 2026, जो प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित जनपद-हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा-समुखा में खेलो इण्डिया के अन्तर्गत ग्रामीण मिनी स्टेडियम/खेल मैदान निर्माण किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा जनहित में ग्रामीण मिनी स्टेडियम/अन्य केन्द्र सरकार की योजना में चयनित कर मैदान विकसित करायेंगे ? (ग) यदि हां, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 2	2-(क) क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बतायेंगे कि मुख्य मंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ऋण दिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र क्रमांक : 25263415522839 के माध्यम से आवेदन प्राप्त हुये हैं ? (ख) यदि हाँ, तो क्या सम्बन्धित व्यक्तियों को उक्त ऋण दिये गये हैं ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 3	3-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे की जनपद-लखनऊ में रजिस्ट्रेशन संख्या-313221298321 व जनपद-उन्नाव में रजिस्ट्रेशन संख्या-313112969806 के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं ? (ख) यदि हां, तो क्या उक्त लाभार्थियों के खातों में वृद्धावस्था पेंशन भेज दी गयी है ? (ग) यदि हाँ, तो कब ? (घ) क्या उक्त लाभार्थियों के नाम व पते सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री अनूप कुमार गुप्ता 4	4-[अन्तरित]	

डा0 मान सिंह यादव 5	5-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-खिल्ली, तहसील-मोठ, जनपद-झाँसी में कितने लोगों को समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की मिलने वाली पेंशन प्राप्त हो रही है और अभी कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो पात्र हैं, लेकिन उन्हें उक्त पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है ? (ख) जिन पात्र व्यक्तियों को उक्त पेंशन नहीं मिल रही है उनको कब तक समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए उक्त पेंशन का लाभ प्राप्त करायेंगे ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 6	6-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री, विधान परिषद् की बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2026 प्रथम सत्र के प्रथम मंगलवार को प्रश्नकर्ता सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-7 के खण्ड क भाग के क्रम में बतायेंगे कि वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन संख्या-31311063984 की वित्तीय वर्ष 2025-2026 की प्रथम किश्त दिनांक 1-7-2025 को रुपये 3000/-, द्वितीय किश्त दिनांक 15-10-2025 को रुपये 3000/-व तृतीय किश्त दिनांक 9-01-2026 को रुपये 3000/- आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, हिलौली, जनपद-उन्नाव में तीनों किश्तें भेज दी गयी हैं ? (ख) उपरोक्त किश्तें आवेदनकर्ता के खाते में अभी तक नहीं आयी हैं यदि हाँ, तो अन्तरित की गयी किश्तों का विवरण साक्ष्य सहित सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जवाबदेही तय कराते हुये कार्यवाही करायेंगे ? (घ) उक्त चारों किश्तें कब तक भिजवायेंगे ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 7	7-(क) क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के ग्राम-करूई, तहसील-मार्टिनगंज के विकास खण्ड में रजिस्ट्रेशन संख्या-315708770923R शादी अनुदान के साथ ही दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ को कितने ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ?	पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या उक्त आवेदनकर्ताओं को शादी अनुदान का लाभ प्रदान कर दिया गया है ?

(ग) यदि हां, तो कब ?

(घ) क्या उक्त आवेदनकर्ताओं के नाम एवं पते की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

सदस्य	प्रश्न	मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 8	8-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के ग्राम व पोस्ट-जाफरपुर, तहसील-सदर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्रदान किये जाने हेतु रजिस्ट्रेशन संख्या-3157127737 के साथ ही दिनांक 01 जनवरी, 2026 से 20 फरवरी, 2026 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ को कितने ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ? (ख) क्या आवेदनकर्ताओं को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्रदान कर दिया गया है ? (ग) यदि हां, तो कब ? (घ) क्या उक्त लाभार्थियों के नाम व पते सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री किरण पाल कश्यप 9	9-(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि जनपद शामली व सहारनपुर में अंग्रेजी व देशी शराब की कितनी दुकानें संचालित हैं ? (ख) उक्त संचालित दुकानों से विभाग को वर्ष 2023 से अब तक वर्षवार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 10	10-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-जौनपुर, तहसील-जौनपुर, विकास खण्ड-बक्शा, ग्राम पंचायत वार्ड-शेखापुरा में रजिस्ट्रेशन संख्या-315815528321 के साथ दिनांक 01 सितम्बर, 2025 से दिनांक 30 सितम्बर, 2025 के मध्य वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त वृद्धावस्था पेंशन आवेदनकर्ताओं के खातों में भेज दी गयी है ?

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

(घ) क्या उक्त आवेदनकर्ताओं के नाम व पते सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 11

11-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि जनपद-जौनपुर के ब्लॉक-बक्शा, ग्राम-शेखापुरा में रजिस्ट्रेशन संख्या-UP266987062 व UP267200014 के अन्तर्गत किसान सम्मान निधि रोक दी गयी है ?

कृषि मंत्री

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक उक्त आवेदनकर्ताओं के खाते में किसान सम्मान निधि की धनराशि भेज दी जायेगी ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 12

12-(क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-मछरेहटा में कोई स्टेडियम न होने से प्रतिभाशील ग्रामीण युवाओं को खेल के अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं ?

युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु ग्राम-पंचायत धवरपारा में स्टेडियम का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष सिन्हा 13

13-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-कुशीनगर, तहसील-कसया, ब्लॉक-फाजिलनगर, ग्राम पंचायत-पंचरूखिया में रजिस्ट्रेशन संख्या-317214263421 के साथ दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 से दिनांक 30 नवम्बर, 2024 के मध्य वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त वृद्धावस्था पेंशन आवेदनकर्ताओं के खातों में भेज दी गयी है ?

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

(घ) क्या उक्त आवेदनकर्ताओं के नाम व पते सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 14	14-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के राजाजीपुरम में रजिस्ट्रेशन संख्या-313221372851 के साथ ही दिनांक 01 सितम्बर, 2025 से 30 सितम्बर, 2025 के मध्य कितने आवेदनकर्ताओं ने वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने हेतु आवेदन किये हैं ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त लाभार्थियों के खातों में वृद्धावस्था पेंशन भेज दी गयी है ? (ग) यदि हाँ, तो कब ? (घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 15	15-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-अयोध्या में वृद्धावस्था पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या-314911098071 व 314911098165 की माह फरवरी, 2026 से पेंशन नहीं दी गयी है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पेंशन न दिये जाने के क्या कारण हैं ? (ग) क्या उक्त आवेदनकर्ताओं के खातों में पेंशन प्रेषित कराते हुये सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 16	16-(क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-एलिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत टीकर बहादुरपुर में ग्राम सभा की भूमि (गाटा संख्या 12, क्षेत्रफल लगभग 02 हेक्टेयर) स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त एवं उपलब्ध होने के बावजूद अब तक उक्त भूमि पर स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है, जिसके कारण क्षेत्र के युवाओं को खेलकूद एवं शारीरिक विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है तथा स्थानीय खेल प्रतिभाओं का समुचित विकास प्रभावित हो रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त भूमि पर स्टेडियम का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री पवन कुमार सिंह
17

17-(क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-पहला के अन्तर्गत ग्राम-पंचायत मरहमतनगर में कोई खेल का मैदान न होने से युवाओं को खेलकूद एवं शारारिक विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है तथा स्थानीय खेल प्रतिभाओं का समुचित विकास प्रभावित हो रहा है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या ग्राम पंचायत मरहमतनगर में स्टेडियम का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण
राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

श्री पवन कुमार सिंह
18

18-(क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-रामपुर मथुरा के अन्तर्गत ग्राम-पंचायत चांदपुर में कोई खेल का मैदान न होने से युवाओं को खेलकूद एवं शारारिक विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है तथा स्थानीय खेल प्रतिभाओं का समुचित विकास प्रभावित हो रहा है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या ग्राम पंचायत चांदपुर में स्टेडियम का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण
राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

डा0 मान सिंह यादव
19

19-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ, मोहल्ला-गंगा नगर अमौसी, तहसील-सरोजनीनगर में रजिस्ट्रेशन संख्या-313221481931 के साथ दिनांक 01 मई, 2026 से दिनांक 26 मई, 2026 के मध्य वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त वृद्धावस्था पेंशन आवेदनकर्ताओं के खातों में भेज दी गयी है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) उक्त का सम्पूर्ण विवरण नाम व पते सहित सदन की मेज पर रखेंगे ?

समाज कल्याण
राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 20	20-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद मऊ में संचालित, अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 1994 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जा रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो कब किया गया ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 21	21-(क) क्या व्यवसायिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्डों में राजकीय व्यवसायिक शिक्षण संस्थान के अभाव में युवा वर्ग व्यवसायिक प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	व्यवसायिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 22	22-(क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-महमूदाबाद के ग्राम-जाफरपुर में कोई स्टेडियम न होने से युवाओं को खेलने में असुविधा होती है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या खेल को प्रोत्साहित करने हेतु स्टेडियम का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 23	23-(क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-सिधौली के ग्राम-पैसिया में कोई स्टेडियम न होने से युवाओं को खेलने में असुविधा होती है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या खेल को प्रोत्साहित करने हेतु स्टेडियम का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 24	24-(क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-कसमण्डा के ग्राम-कसमण्डा में कोई स्टेडियम न होने से युवाओं को खेलने में असुविधा होती है ?	युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो क्या खेल को प्रोत्साहित करने हेतु स्टेडियम का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 25	25-(क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-मछरेहटा के ग्राम-बीहट बीरम में कोई स्टेडियम न होने से युवाओं को खेलने में असुविधा होती है ? (ख) खेल को प्रोत्साहित करने हेतु स्टेडियम का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री किरण पाल कश्यप 26	26-(क) क्या उद्यान मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में कोल्डस्टोरेज में रखे गये किसानों के आलू का बीमा कोल्डस्टोरेज के मालिकों द्वारा कराये जाने का नियम है ? (ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2025-2026 में जनपद-शामली, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी, गोरखपुर, महाराजगंज में किन-किन कोल्डस्टोरेज के मालिकों द्वारा कोल्डस्टोरेज में रखे गये किसानों के आलू का बीमा करा दिया गया है ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 27	27-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ, तहसील-सदर, लोध पुरवा, खन्दारी बाजार में आधार संख्या-261578238132, आवेदन पत्र क्रमांक-7644, दिनांक 12 अगस्त, 2019 व आधार संख्या-261578238136 की वृद्धावस्था पेंशन मार्च, 2026 से रोक दी गयी है ? (ख) उक्त आवदेनकर्ताओं की रुकी हुई वृद्धावस्था पेंशन कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री आशुतोष सिन्हा 28	28-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-जौनपुर, तहसील-शाहगंज, ब्लाक-परासिन, पट्टी चकेसर में रजिस्ट्रेशन संख्या-315815518871 व 315815440781 के साथ दिनांक 01 मई, 2026 से दिनांक	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

17 जुलाई, 2026 के मध्य वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ?

(ख) क्या उक्त वृद्धावस्था पेंशन आवेदनकर्ताओं के खातों में भेज दी गयी है ?

(ग) उक्त आवदेनकर्ताओं के नाम व पते सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 29 — 29-(क) क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-बनका खास, तहसील-मोहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर में वर्तमान में कितने व्यक्तियों को किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हो रहा है ? — कृषि मंत्री

(ख) क्या उसी ग्राम सभा में राकेश राय, मनोज राय, निखिल राय को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है ?

(ग) यदि हां, तो कब तक उक्त व्यक्तियों को भी किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करा दिया जायेगा ?

(घ) उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 30 — 30-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पहला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोरार के मजरा कलिमापुर में रामचन्दर बाबा के घर से लेकर पुत्ती के घर तक लगभग 190 मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पहला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोरार के मजरा कलिमापुर में रामचन्दर बाबा के घर से लेकर पुत्ती के घर तक इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण करवाया जाना अति आवश्यक है। विशेषकर बरसात के मौसम में स्थिति और अधिक खराब हो जाती है, जिससे ग्रामीणों तथा वाहनों का निकलना अत्यन्त कठिन हो जाता है। सड़क निर्माण के लिए जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पहला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोरार के मजरा कलिमापुर में रामचन्दर बाबा के घर से लेकर पुत्ती के घर तक लगभग 190 मी0 इण्टरलॉकिंग/आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद सीतापुर के विकास खण्ड कसमण्डा, ग्राम पंचायत नयागांव में नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद सीतापुर के विकास खण्ड कसमण्डा, ग्राम पंचायत नयागांव में श्री उदयराज सिंह के मकान के पास से लेकर श्री रघुराज सिंह जूनियर हाई स्कूल के पास से होते हुये बन्धा तक लगभग 115 मी0 नाला का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। नाला न होने के कारण बरसात के दिनों में कई बार घरों एवं प्राथमिक विद्यालय नयागांव में बरसात का पानी भर जाता है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड कसमण्डा, ग्राम पंचायत नयागांव में श्री उदयराज सिंह के मकान के पास से लेकर श्री रघुराज सिंह जूनियर हाई स्कूल के पास से होते हुये बन्धा तक नाले का निर्माण करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद सीतापुर के विकास खण्ड व तहसील-खैराबाद के ग्राम असोडर के अन्तर्गत ग्राम असोडर से पनवड़िया, खैराबाद तक लगभग 1.5 किमी0 सम्पर्क रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद सीतापुर के विकास खण्ड व तहसील-खैराबाद के ग्राम असोडर के अन्तर्गत ग्राम असोडर से पनवड़िया, खैराबाद तक लगभग 1.5 किमी0 रोड का निर्माण करवाया जाना अति आवश्यक है। सड़क अत्यन्त जर्जर व दुर्गम है। जिसके कारण बच्चों को स्कूल जाने तथा मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र तक ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उक्त नयी सड़क/चौड़ीकरण/सौन्दर्यीकरण का निर्माण कराये जाने हेतु कई बार प्रयास किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड व तहसील-खैराबाद के ग्राम असोडर के अन्तर्गत ग्राम असोडर से पनवड़िया, खैराबाद तक लगभग 1.5 किमी0 सम्पर्क रोड का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड ऐलिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोरा में डामर रोड से लेकर श्री परशुराम के घर तक लम्बाई लगभग 250 मीटर इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि हम समस्त ग्रामवासी जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोरा में डामर रोड से लेकर श्री परशुराम के घर तक लगभग 250 मी0 इण्टरलॉकिंग/डामर रोड व नाली का निर्माण कार्य करवाया जाना अति आवश्यक है। सड़क न होने के कारण बच्चों को स्कूल तथा वहाँ के कृषकों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क निर्माण के लिए जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड ऐलिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोरा से डामर रोड से लेकर श्री परशुराम के घर तक लम्बाई लगभग 250 मीटर इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) द्वारा मुद्रित।